rence of SC/ST M.Ps. forum held on 16th and 17th June, 1992 on political, social, economic and reservation aspects of SC/STs, if so, the action taken thereon till now;

(b) whether Government propose to call a meeting of "High Power Committee for active consideration and final decisions in the matter;

(c) if so, the period likely to be taken for holding meeting of a High Power Committee; and

(d) if not, the reasons therefor and what will be the other arrangements?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (d) Yes Sir. The various issues raised in the Resolutions adopted at the National Convention of SC and ST Parliamentarians and Legislators held on 16th and 17th June, 1992 require careful consideration in consultation with the concerned Ministries/Departments as also, in some cases, with the State Governments.

Reservation for the handicapped in Jammu and Kashmir

1003. SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether any quota has been fixed for the handicapped in the recruitment to the gazetted/non-gazetted services in Jammu and Kashmir;

(b) if not, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to fix the quota for the handicapped in Jammu and Kashmir?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) to (c) The information is being collected from Government of Jammu and Kashmir and will be laid on the table of the House.

पिछड़े वर्गों का विकास

1004. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्गों के विकास के लिये सरकार की कौन-कौन सी योजनायें हैं :

(ख) उन योजनाओं के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और गत दो वर्षों में उसमें उपलब्धि का प्रतिशत कितना रहा है ; और

(ग) क्या सरकार पिछड़े वर्गों के तीव्र विकास हेतु कोई कार्यक्रम/अभियान चलाने पर विचार कर रही है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये अनेक योजनायें आरम्भ की हैं । सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 अगस्त, 1990 और 25 सितम्बर, 1991 के अनुसार भारत सरकार के अधीन सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों और सेवाओं में सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की है । इसमें से प्राथमिकता सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में अधिक गरीब वर्गों को दी जायेगी । इसके अतिरिक्त सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के उन अन्य वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की है जो आरक्षण की किसी विद्यमान योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये, सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये की प्राधिकृत हिस्सा पूंजी से एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की है जिसे लाभ न कमाने वाली कम्पनी के